राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2014

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

जिन नव- निर्वाचित सदस्यों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे भारत के संविधान के प्रति शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे ।

2. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(I) अधिसूचनायें

प्रशासनिक सुधार विभाग

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.28(84)प्रसू/सूअप/2009 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके द्वारा स्थापित अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

2- श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(अ) वित्त विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.2(32)वित्त/कर/2013-61 दिनांक 13 सितम्बर,2013 जिसके द्वारा एचपीसीएल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड़ को आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.12(59)वित्त/कर/2008-पार्ट-II-62 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा मैसर्स श्री सीमेन्ट द्वारा संयंत्र स्थापना हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(31)वित्त/कर/2012-63 दिनांक 13.9.2013 जिसके द्वारा मैसर्स हीरो मोटोकॉर्प द्वारा संयंत्र स्थापन हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.12(33)वित्त/कर/2012-64 दिनांक 13.9.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(28)वित्त/कर/2007-145 दिनांक 9 मार्च, 2007(समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या:एफ.12(91)वित्त/कर/2011-65 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(91)वित्त/कर/2011-71 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 में संशोधन किया गया है ;

जारी..2..

6- अधिसूचना संख्या:एफ.12(91)वित्त/कर/2011-66 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान घरेलू एलपीजी सब्सीड़ी स्कीम, 2011 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

7- अधिसूचना संख्या:एफ.2(42)वित्त/कर/2009-67 दिनांक 20 सितम्बर,2013 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ द्वारा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर लोन एग्रीमेन्ट पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-68 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा -90 के तहत जारी लीज डीड के पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-69 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा जारी पुनर्वैध लीज डीड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-70 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय/आवंटन के संबंध में जारी लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-71 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम-4 के उप नियम-(1) या नियमितिकरण के लिये नियम-16 के उप नियम-(1) के अधीन दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा दिनांक 31.12.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-72 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा इंटरमिडियटरी अपंजीकृत एवं अनस्टाम्प्ड दस्तावेजों पर सशर्त देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत जिलों एवं उप जिलों का गठन किया गया है एवं सीमाओं का निर्धारण किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत कतिपय अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर रजिस्ट्रीकरण उप जिले के लिये उप रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये हैं ;

15- अधिसूचना संख्या:एफ.12(138)वित्त/कर/2009-75 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(138)वित्त/कर/2009-58 दिनांक 8 अगस्त, 2013 में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 8.5.2013 से प्रभावी होगा ;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-76 दिनांक 20.12.2013 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

जारी..3..

17- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-77 दिनांक 20.12.2013 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-78 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-39(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भाँति निर्धारित की गई है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-79 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान), नियम, 1957 के नियम-6-बी(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भाँति निर्धारित की गई है ;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-80 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों एवं बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम-7(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भाँति निर्धारित की गई है ;

21 अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-81 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 के नियम-8(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भाँति निर्धारित की गई है ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डआर/2011 दिनांक 4.9.2013 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है ; एवं

23- अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डआर/2011 दिनांक 4.9.2013 जिसके द्वारा उपापन संस्थाओं द्वारा बोली लगाने वालों के प्रवर्ग को सशर्त अधिमान दिया जाएगा।

<u>(ब) आबकारी विभाग</u>

अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012-पार्ट दिनांक 4.10.2013 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

3- श्री युनूस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

<u>परिवहन विभाग</u>

1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)परि/कर/मु0/11 दिनांक 19.9.2013 जिसके द्वारा जोधपुर नेटवर्क ऑफ लिविंग विद एचआईवी संस्थान को एच.आई.वी. पीड़ित बच्चों को शिक्षण कार्य हेतु लाने-ले जाने हेतु वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु0/08/31938 दिनांक 6.9.2013 जिसके द्वारा अन्य राज्यों से रामदेवरा आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रूपये से अधिक कर की राशि में छूट प्रदान की गई है।

जारी..4..

(II) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 ; एवं

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)) (3)के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम
प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-2)

"राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-21) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..5..

(II) कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

(I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-1)

"कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन करने और कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन और संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-23) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(1) श्री राजपाल सिंह शेखावत(वि.सं.-139), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

(2) श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.-5), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 जनवरी, 2014